छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य में नगर निगमों सहित शहरी और पंचायत निकायों के चुनाव **फरवरी 2025** में होने जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- **चुनाव: परिचय**
- 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों सहित 173 नागरिक निकायों के लिये चुनाव 11 फरवरी 2025 को एक ही चरण में होंगे।
- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव **तीन चरणों** में होंगे: 17, 20 और 23 फरवरी 2025।
- चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगरीय एवं पंचायत निकायों के लिये आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
- **मतदान पद्धति एवं चुनाव प्रकार:**
- नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से कराए जाएँगे, जबकि पंचायत चुनाव मत-पत्रों **के माध्यम से कराए जाएँगे।**
- नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर होंगे, जबकि पंचायत चुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे।

राज्य चुनाव आयोग (SEC)

- **राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिये स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निष्पक्ष चुनाव कराने** का कार्य निर्दिष्ट किया गया है।
- **अनुच्छेद 243K(1):** इसमें कहा गया है कि पंचायतों **(अनुच्छेद 243ZA के तहत नगर पालिकाओं) के सभी चुनावों के लिये मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण** राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होगा।

अनुच्छेद 243K(2): इसमें कहा गया है कि **कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित की जाएगी।** हालाँकि, राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के अलावा उसके पद से नहीं हटाया जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/panchayat-elections-in-chhattisgarh